

पत्रांक-1/नि0ज0शि0-116/2018-  
बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना ।

प्रेषक,

अजीत कुमार सिन्हा,  
सहायक निदेशक (नियोजन),  
बिहार, पटना ।

सेवा में,

जनशिकायत पदाधिकारी,  
श्रम संसाधन विभाग,  
बिहार, पटना ।

पटना-01, दिनांक-

विषय- बेरोजगारी स्वयं सहायता भत्ता के संबंध में ।


प्रसंग- आपका पत्रांक-3462 दिनांक-26.02.2018

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में यह सूचित करना है कि श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत वर्तमान में शिक्षित बेरोजगारों के लिए निदेशालय नियोजन के अंतर्गत बेरोजगारों का निबंधन किया जाता है। बेरोजगारी स्वयं सहायता भत्ता से संबंधित किसी प्रकार की योजना निदेशालय नियोजन द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। इस संदर्भ में आप से प्राप्त श्री धर्म विजय प्रसाद गुप्ता का मूल आवेदन पत्र लौटाई जाती है।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

  
(अजीत कुमार सिन्हा)  
सहायक निदेशक (नियोजन)  
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-1/नि0ज0शि0-116/2018-533 पटना-01, दिनांक-31.05.18  
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सहायक निदेशक (नियोजन)  
बिहार, पटना ।